

194

राजस्थान सरकार

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)

(E mail : DIR. SOCIALAUDIT@RAJASTHAN.GOV.IN TEL. 0141-2227033)

क्रमांक: एफ.61(09)SSAAT / संस्था / 2019 / 137

जयपुर दिनांक: 09-02-21

कार्यालय आदेश (आदेश क्रमांक 20 / 2021)

विषय:—सामाजिक अंकेक्षण मानदेय भुगतान बाबत निर्देश।

इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश क्रमांक 380-390 दिनांक 04.02.2021 (आदेश क्रमांक 19 / 2021) द्वारा सामाजिक अंकेक्षण सम्पादन, मानदेय भुगतान एवं डेटा संधारण बाबत निर्देश जारी किये गये थे जिसमें सामाजिक अंकेक्षण दलों का भुगतान निर्धारित प्रपत्र-11 में मानदेय भुगतान बिल / दावा तैयार करने के निर्देश प्रदान किये गये थे। सोसायटी में भुगतान व्यवस्था सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा संचालित "राजस्थान पेमेंट पोर्टल" (RPP) के माध्यम से सम्पादित किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस बाबत दिनांक 05.02.2021 को सामाजिक अंकेक्षण शाखा, आई.टी. शाखा एवं भुगतान शाखा के समस्त अधिकारियों, कर्मचारियों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया था। राजस्थान पेमेंट पोर्टल लागू किये जाने के फलस्वरूप पूर्व प्रचलित प्रपत्र-11 के स्थान पर सभी शाखा प्रभारियों से विचार विमर्श उपरान्त संशोधित प्रपत्र-11 उपयोग में लिये जाने हेतु जारी किया जाता है।

संलग्न: - संशोधित प्रपत्र - 11

1/2 9/2/2021
(रामावतार शर्मा)
निदेशक, SSAAT

क्रमांक: एफ.61(09)SSAAT / संस्था / 2019 /

जयपुर दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. उप सचिव, श्रीमान् मुख्य सचिव, सह अध्यक्ष, शासी निकाय, (G.B), सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT), राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, श्रीमान् अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग सह अध्यक्ष, कार्यकारी समिति, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT), राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग सह सदस्य सचिव, शासी निकाय, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT), राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT), राजस्थान, जयपुर।

5. कार्यालयाध्यक्ष एवं लेखाधिकारी (प्रशासन)/लेखाधिकारी (सा.अं.), (SSAAT) वास्ते पालनार्थ।
6. आहरण वितरण अधिकारी, (SSAAT) वास्ते पालनार्थ।
7. समस्त जिला प्रभारी अधिकारी/सहायक लेखाधिकारी-प्रथम/द्वितीय वास्ते पालनार्थ।
8. सहायक लेखाधिकारी-प्रथम (G.B/E.C प्रभारी) को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि इस आदेश सहित सुचारु व्यवस्था कायम कराने संबंधी अन्य आदेशों को भी सोसायटी की बैठकों में अवलोकनार्थ एवं यथा आवश्यकता अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करवाना सुनिश्चित करें।
9. प्रोग्रामर, कार्यालय हाजा को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान पेमेंट पोर्टल से संबंधित व्यवस्थाएँ सुचारु रूप से संचालित कराने हेतु समय-समय पर नियमति रूप से यथा आवश्यकता उचित कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करें।
10. कनिष्ठ लेखाकार समस्त/सूचना सहायक/कैशियर/समस्त कर्मचारी वास्ते पालनार्थ
11. रक्षित पत्रावली।

(दिनेश कुमार अग्रवाल)

✓ कार्यवाहक, कार्यालयाध्यक्ष, SSAAT

21/2/2021



सामाजिक लेखा परीक्षा, जगबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)

संशोधित प्रपत्र-11

जिला टोकन संख्या..... दिनांक.....

कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि-

1. समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण (CSA) रिपोर्ट कार्यालय में दिनांक को क्र. सं. पर प्राप्त है।
2. ब्लॉक / ग्राम संसाधन व्यक्तियों (BRPs/VRPs) की सूचना Registration Data एवं संबंधित विकास अधिकारी से प्राप्त प्रपत्र-8 के आधार पर प्रमाणित की गई है।
3. रुपये..... अक्षरे रु. के भुगतान के लिये सत्यापित
4. समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण (CSA) कलैण्डर पत्रावली जिला..... पं.स. माह..... दिनांक..... पर भुगतान प्रविष्टि की गयी।

हस्ताक्षर

नाम.....

प्रभारी अधिकारी

जिला.....

हस्ताक्षर

नाम.....

लेखाधिकारी (सा. अंके.)

कार्यालयाध्यक्ष एवं ट्रेजरी कार्यवाही

1. स्वीकृति क्रमांक..... दिनांक जारी की गई।
2. ट्रेजरी टोकन नं..... दिनांक का भुगतान किया गया
3. रुपये..... अक्षरे रुपये का भुगतान किया गया
4. RPP Out Code.....

हस्ताक्षर

नाम.....

कनिष्ठ लेखाकार /
लेखाकार(भुगतान)

हस्ताक्षर

नाम.....

आहरण वितरण अधिकारी

हस्ताक्षर

नाम.....

कार्यालयाध्यक्ष